



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930

No. 368]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/PHALGUNA 8, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

का.आ. 568(अ).—यतः, नीचे उल्लिखित खंड के बारे में भवन उप-नियम, 1983 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 2008 के सं. का.आ. 2958(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर लिखित रूप में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में सार्वजनिक नोटिस के उत्तर में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् भवन उप-नियम, 1983 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त भवन उप-नियम, 1983 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :

उपांतरण :

खंड 17.1 में निम्नलिखित उपांतरण :

“17.1 भवनों की योजना, डिजाइन और निर्माण इस प्रकार होगा जिससे अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित हो और यह भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता की अग्नि सुरक्षा भाग-IV के अनुसार किया जाएगा। ऐसे भवनों (भवन उप-नियम सं. 6.2.4.1 में अभिज्ञात) के मामले में भवन योजना मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली फायर सर्विस द्वारा भी स्वीकृत की जाएगी।”

[सं. के-20013/4/2008-डीडी I बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2009

S.O. 568(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Building Bye-Laws, 1983 regarding the Clause mentioned hereunder were published in the Gazette of India as Public Notice *vide* No. S.O. 2958(E), dated the 23rd December, 2008 by the Government of India inviting objections/suggestions in writing to the Government within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection and suggestion has been received in response to the Public Notice with regard to the proposed modifications. And whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Building Bye-Laws, 1983.

3. Now, therefore, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Building Bye-Laws, 1983 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

Modification :

Modify Clause 17.1 as under :—

“17.1 Buildings, shall be planned, designed and constructed to ensure fire safety and this shall be done in accordance with Part IV Fire Protection of National Building Code of India. In the case of buildings (identified in Bye-Laws No. 6.2.4.1), the building schemes shall also be cleared by the Chief Fire Officer, Delhi Fire Service.”

[No. K-20013/4/2008-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.